न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ,न्यायालय संख्या -05 बाराबंकी
CNR No-UPBB010022162023

राज्य बनाम शिववरदान आदि

सत्रवाद संख्या-478/2023, अपराध सं० 310/2027 धारा 147,148,323,504,506,308 भा०दं०सं०,थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी।

दिनांक 09-01-2024

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को प्रार्थना पत्र ब-28 पर सुना जा चुका है।

पत्रावली में दाखिल प्रार्थना पत्र ब-28 अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० अभियुक्त गण अनिल कुमार सिंह आदि के द्वारा इस आशय का दिया गया है कि अभियोजन का कथन है कि परिवादी शेर बहादुर सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम टाड़ा ,मजरे इटहुआ पूरब,थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी ने दिनांक 15.10.2017 को सुबह लगभग 6 बजे विपक्षी अनिल सिंह, शिववरदान सिंह पुत्रगण दुर्गा प्रसाद व नीरज सिंह पुत्र अंजनी सिंह,राजकुमार,जीत बहादुर सिंह निवासीगण उपरोक्त व शिवनाथ पुत्र बाउर,निवासी ग्राम डेरे राजा , अपने -अपने हाथों में लाठी- डण्डा व असलहा लेकर परिवादी के घर चढ़ आये तथा परिवादी को भद्दी-भद्दी गालियाँ देकर मारना पीटना शुरू कर दिया । उसके बाद असलहे से फायर करके एलानियाँ तौर पर धमकी देते हुए फायर करते हुए यह कहते हुए कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो जान से मार दूंगा । मारपीट व फायरिंग में परिवादी व उसके पिता तथा गाँव के हरिजीत को गम्भीर चोटें आयी है। चिकित्सीय परीक्षण व चोटहिल शेर बहादुर सिंह को एक फटा घाव बायीं तरफ सर पर पाया गया जिसे एक्सरे के लिए सलाह दी गयी तथा दूसरी खरोच बायें अंगूठे पर पायी गयी। चोटहिल अजय प्रताप सिंह को एक कंटीयूशन बायें कंधे पर,एक कंटीयूशन बायें अग्र बाहू पर तथा एक कंटीयूशन कंधे पर पाया गया जिसमें चोट नम्बर 2 को जेर निगरानी रखते हुए एक्सरे की सलाह दी गयी तथा सभी चोटें साधारण बतायी गयी । चोटहिल हरिजीत सिंह को एक फटा घाव दाहिने हाथ पर पाया गया जिसे एक्सरे की सलाह दी गयी। चिकित्सीय पूरक आख्या में दिनांक 24.10.2017 को शेर बहादुर सिंह के एक्सरे में एन०ए०डी० पाया गया एवं चोटहिल हरिजीत सिंह की पूरक आख्या में एन०ए०डी० पाया गया तथा पूरक आख्या अजय प्रताप सिंह भी एन०ए०डी० पाया गया । इसप्रकार चिकित्सीय आख्या के अनुसार प्रार्थीजन के विरुद्ध कोई भी अपराध धारा 308 भा०दं०सं० का नहीं पाया गया। दिनांक 18.06.2018 को विवेचक श्री जे०बी० सिंह द्वारा ए०सी०जे०एम० कोर्ट सं०-38 बाराबंकी धारा 173(8)जा०फौ० अग्रिम विवेचना हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जो दिनांक 25.06.2018 को स्वीकृत किया गया जिस पर प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ,थाना टिकैतनगर, बाराबंकी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखते हुए प्रेषित की कि पूर्व विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र में धारा 308 भा०दं०सं० के अलावा सभी धाराओं में आरोप प्रमाणित है।धारा 308 भा०दं०सं० का कोई भी अपराध नहीं पाया गया है। प्रार्थी शिववरदान सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में याचिका संख्या 1620/2020 दाखिल की थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश 16.07.2022 को यह निर्देश दिया था कि सभी पुलिस प्रपत्रों के साथ पूरक आरोप पत्र दिनांकित 20.12.2019 पत्रावली के साथ अवलोकनार्थ हेतु रखा जाये जिसके आदेश

की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। चोटहिलों की आहत आख्या के अवलोकन से प्रार्थीजन के विरुद्ध धारा 308 भा०दं०सं० का अपराध नहीं बनता है जिसका समर्थन धारा 173(8) जा०फौ० के अन्तर्गत की गयी विवेचना के प्रमाण से मिल रहा है। प्रार्थीजन के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र में मात्र धारा 308 भा०दं०सं० का विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायसंगत है,शेष धाराएं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। अतःप्रार्थीजन को धारा 308 भा०दं०सं० के अपराध से उन्मोचित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थना पत्र उन्मोचन का विरोध किया गया है और यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अग्रेतर विवेचना जो पश्चावर्ती विवेचक द्वारा की गयी है, उसमें चुटैल का मेडिको लीगल करने वाले डाक्टर से पूछताछ नहीं की गयी है,जबकि प्रथम विवेचना जिसके उपरांत प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया जा चुका है और पत्रावली न्यायालय को कमिट की गयी है; में विवेचक ने संबंधित डाक्टर के बयान लिये हैं, जिसमें डाक्टर ने चुटैल को आयी चोट को प्राणघातक बताया है (SCD IX) । ऐसी दशा में धारा 308 भा०दं०सं० में उन्मोचन किया जाना उचित नहीं है । प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आरोप पत्र धारा 147,148,323,504,506 308 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रेषित है । इसके पीछे कारण भी बताया गया है कि डाक्टर ने चुटैल के सिर पर आयी चोट फटा हुआ घाव 5X1 सेंमीX हडडी की गहराई तक को घातक पाया है।डाक्टर के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० में CD V में डाकटर का कथन उल्लेखनीय है जिसमें उसका कथन है कि "मजरूब शेर बहादुर के सिर पर चोट लगी है। सिर की कोई भी चोट प्राणघातक हो सकती है।" प्रकरण के अग्रेतर विवेचना में विवेचक द्वारा डाक्टर से कोई पूछताछ किये बिना धारा 308 भा०दं०सं० को निकालने की संस्तुति की गयी है तथा शेष धाराओं में अपराध को प्रमाणित बताया गया है। चूंकि न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान दिनांक 05.06.2008 को अन्तर्गत धारा 308 भा०दं०सं० में भी लिया गया है तथा पत्रावली का सत्र उपार्पण भी दिनांक 04.02.2023 को किया गया है,ऐसे में मात्र अग्रतर विवेचना में धारा 308 भा०दं०सं० की संस्तुति न करना उक्त धारा 147, 148, 323, 504, 506, 308 भा०दं०सं० में उन्मोचन का आधार न्यायालय के समक्ष नहीं है। चोट किन परिस्थितियों में आयी और वह कितनी घातक थी,इसका विचारण के दौरान विनिश्चय किया जा सकता है तथा प्रार्थना पत्र उन्मोचन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ब-28 अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 06.02.2024 को पेश हो।

(श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०-5 बाराबंकी।